न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

उनवान श्रवण बनाम कैलाश

वाद संख्या–84/2014

दिनांक निर्णय–22.11.2017

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामि वादी श्रवण पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी गुल्लाना तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 26.05.2014 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार वादी प्रतिवादी नं0 1 से 10 की शामलाती खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 40 पुराना 39 का ख0 नं0 ख0 नं0 919/2097 रकबा 0.0500 है0 चाही एक, ख0 नं0 920 रकबा 0.3200 है0 चाही एक, ख0 नं0 921 रकबा 0.3000 है0 चाही एक, ख0 नं0 921/2092 रकबा 0.0100 है0 गै0 मु0 चाह, ख0 नं0 922 रकबा 0.3100 है0 चाही एक, ख0 नं0 923 रकबा 0.2900 है0 चाही एक, ख0 नं0 1127 रकबा 0.0600 है0 बंजड, ख0 नं0 1128 रकबा 0.5200 है0 चाही एक, ख0 नं0 1129 रकबा 0.0600 है0 गै0 मु0 चाह, ख0 नं0 1130 रकबा 0.3200 है0 चाही व जाव एक, ख0 नं0 1131 रकबा 0.4200 है0 चाही व जाव एक, ख0 नं0 1132 रकबा 0.2200 है0 चाही व जाव एक, ख0 नं0 1133 रकबा 0.5200 है0 चाही व जाव एक, ख0 नं0 1134 रकबा 0.2400 है0 चाही व जाव एक, ख0 नं0 1135 रकबा 0.0200 है0 गै0 मु0 चाह, ख0 नं0 1136 रकबा 0.3000 है0 जाव चाह एक, ख0 नं0 1137 रकबा 0.1800 है0 चाही व जाव एक, ख0 नं0 1138 रकबा 0.1800 है0 चाही व जाव एक, ख0 नं0 1139 रकबा 0.1800 है0 चाही व जाव, ख0 नं0 1140 रकबा 0.1400 है0 जाव एक, ख0 नं0 1141 रकबा 0.1800 है0 चाही व जाव एक, ख0 नं0 1148/2106 रकबा 0.1400 है0 चाही व जाव एक, ख0 नं0 1150 रकबा 0.1000 है0 चाही व जाव एक कुल किता 23 कुल रकबा 5.0300 है0 वार्षिक लगानी 183.59 रूपयें स्थित वाके रामा मौजा गुल्लाना तह0 बसवा जिला दौसा में स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है।

22/11/17

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

भूमि उपरोक्त में कूप ख0 नं0 1135 व कूप ख0 नं0 1129 पक्षकारान के सामलाती पुख्ता कूप है जो अब सूख गये है निरूपयोगी हो गये है। पक्षकारान ने काश्त की सुविधा के लिये भूमि उपरोक्त का घरू तौर पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा सामलाती रास्ते भी मोके पर बना रखे है प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के लोग है जो आये दिन अकारण विवाद करते रहते है तथा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर आवागमन में रूकावट डालते रहते है तथा ऐलानियां धमकी देते है की वे वादी को उसके कब्जे व हिस्से की भूमि पर काश्त नही करने देगें भूमि का विधिवत सरस नरसानुसार तकास्मा नही हुआ है इस कारण प्रतिवादीगण वादी के आवागमन में व काश्त करने में बाधा डालते रहते है इस कारण वादी को तकास्मे का दावा पेश करना जरूरी हुआ है।

भूमि खाता संख्या नया 40 पुराना 39 के ख0 नं0 919/2097, 920, 921, 921/2092, 922, 923, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1148/2106, 1150 कुल किता 23 कुल रकबा 5.0300 है0 वार्षिक लगानी 183.59 रूपयें स्थित वाके ग्राम गुल्लाना तह0 बसवा में वादी के हिस्सा 1/4 का सरस नरसानुसार रास्तो की सुविधा रखते हुये विधिवत तकास्मा किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावें।

प्रतिवादीगण को दवामि निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे भूमि विवादित वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र में वादी के 1/4 हिस्सा के कब्जे काश्त में, उसके आने जाने के रास्तो में व कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने से तथा मौके व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने से बाज मुमतनाह रखें।

पत्रावली दिनांक 12.03.2016 को न्यायालय में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हुए। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात भूमि का तकास्मा करने की प्रार्थना की है। वादी द्वारा वाद पत्र में आ0 ख0 नं0 के खाता संख्या 40 का बहामी बंटवारा कराना चाहते है। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को तलब कर जवाब चाहा गया। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान बंटवारा करने की सहमति प्रस्तुत की गई।

अतः वकील एवं पक्षकारान की सुनवाई एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आ0

22/11/17
उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

ख0 नं0 919/2097, 920, 921, 921/2092, 922, 923, 1127 ला0 1141, 1148/2106, 1150 कुल किता 23 कुल रकबा 5.0300 है0 भूमि स्थित वाके रामा गुल्लाना तह0 बसवा का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुरेजात प्रस्तुत किये।

तहसीलदार बसवा द्वारा पस्तुत कुरेजात में श्रवण पुत्र गोरधन को खातेदार दर्शाया गया है लेकिन श्रवण पुत्र गोरधन की मृत्यु हो जाने के कारण श्रवण पुत्र गोरधन के स्थान पर उसके वारिसान नहनी देवी पत्नि स्व0 श्रवण, प्रहलाद पुत्र स्व0 श्रवण, केदार प्रसाद पुत्र स्व0 श्रवण, हरकेश पुत्र स्व0 श्रवण, मु0 बिमला पुत्री स्व0 श्रवण, मु0 छोटी पुत्री स्व0 श्रवण, मु0 अनिता पुत्री स्व0 श्रवण को दर्शाया गया है।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
शिवलाल, रामप्रसाद, भूरामल, रतनलाल, धर्मेन्द्र पि0 गब्बू, रामप्यारी पत्नि स्व0 गब्बू जाति मीना सा0 देह खातेदार	923 1127 1128 1131 मि0 1137 1148/2106 मि0	0.29 0.06 0.52 0.17 0.18 0.03
	किता 6	1.25 है0
देवकरण, मोहनलाल, राजीव पि0 बंशी जाति मीना सा0 देह खातेदार	921 921/2092 1130 मि0 1132 1131 मि0 1138 1148/2106 मि0 1150 मि0	0.30 0.01 0.16 0.22 0.23 0.18 0.07 0.05
	किता 8	1.22 है0
नहनी देवी पत्नि स्व0 श्रवण, प्रहलाद पुत्र स्व0 श्रवण, केदार प्रसाद पुत्र स्व0 श्रवण, हरकेश पुत्र स्व0 श्रवण, मु0 बिमला पुत्री स्व0 श्रवण, मु0 छोटी पुत्री स्व0 श्रवण, मु0 अनिता पुत्री स्व0 श्रवण जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई मुर्तहीन नामा0 472 से	922 1134 1135 1136 1139 1141 1148/2106 मि0	0.31 0.24 0.02 0.30 0.18 0.15 0.04
	किता 7	1.24 है0

24/11/17

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

कैलाश पुत्र गोरधन जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा राजगढ मुर्तहीन	920 919/2097 1130 मि0 1133 मि0 1150 मि0 1140	0.32 0.05 0.16 0.50 0.05 0.14
	किता 6	1.22 है0
शिवलाल, रामप्रसाद, भूरामल, रतनलाल, धर्मेन्द्र पि0 गब्बू, रामप्यारी पत्नि स्व0 गब्बू हि0 1/4 देवकरण, मोहनलाल, राजीव पि0 बंशी हि0 1/4 नहनी देवी पत्नि स्व0 श्रवण, प्रहलाद पुत्र स्व0 श्रवण, केदार प्रसाद पुत्र स्व0 श्रवण, हरकेश पुत्र स्व0 श्रवण, मु0 बिमला पुत्री स्व0 श्रवण, मु0 छोटी पुत्री स्व0 श्रवण, मु0 अनिता पुत्री स्व0 श्रवण हि0 1/4 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई मुर्तहीन कैलाश पुत्र गोरधन हि0 1/4 जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा राजगढ मुर्तहीन	1129 1131 1133	0.06 0.02 0.02
	किता 3	0.10 है0

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। तत्पश्चात कुरेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए पत्रावली में वादी द्वारा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा वास्ते आदेश पत्रावली रखी गई। दिनांक 22.11.2017 को पत्रावली वास्ते आदेश रखने पर न्यायालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मुताबिक कुरेजात वाद तकास्मा निर्णित करने का निर्णय लिया, इसलिए मुताबिक कुरेजात वाद तकस्मा अंतिम डिग्री किया जाता है। प्रस्ताव में वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

22/11/17

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई